भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पातल, नई दिल्ली में "**शव-संलेषक**" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी क`दिनांक 13.10.2015 क`का.ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पातल, नई दिल्ली में "शव-संलेषक" पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई- मेल कर सकते हैं।

अभिषेक पाण्डेय

(अभिषेक पाण्डेय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष -23061203

(अभिषेक पांडेय)
(ABHISHEK PANDEY)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नई दिल्ली

दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीखः 2024

सा.का.नि. . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध शव-संलेषक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में शव-संलेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, शव-संलेषक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

7. जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
8. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर

जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शव-संलेषक	02* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-1 (18000-59900 रुपये)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन

	लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष तथा किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान में बॉडी हैंडलर के रूप में शारीरिक रचना या फोरेंसिक मेडिसिन विभाग या अंत्येष्टि सेवा केंद्र में कम से कम छह महीने का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये कैंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित कम से कम 2 से चार सप्ताह की अवधि का एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती । **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी-:) (क)i जो (मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए

			विहित अर्हताएं और अनुभव हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचन
(11)	(12)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल i. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष; ii. उप निदेशक प्रशासन (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; iii. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज-सदस्य।

[ए.11018/09/2023-MH-2]

(अभिषेक पांडेय)
अवर सचिव, भारत सरकार